फर्द अहकाम

गंगाराम बनाम [illegible]

संख्या / वर्ष : ____ / 20____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
4/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वादी को प्रा०पत्र 07 R11 CPC का जवाब पेश करने हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। ~~पत्रावली दि०~~ आगामी पेशी पर जवाब पेश नहीं होने पर स्वतः जवाब बंद कर सीधे बहस सुनी जावेगी। पत्रावली दि० 16/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
16/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित। वादी की ओर से जवाब प्रार्थना 07 R11 CPC पेश नहीं किया है जवाब 07 R11 CPC बंद किया जाता। 07 R11 CPC [illegible] जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दि० 29/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
29/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र 07 R11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये। प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC को [illegible] वादी का वाद को खारिज किये जाने [illegible] किया है। वकील [illegible] में कथन किया है कि [illegible] 268 पर निर्माण नहीं करे। वादग्रस्त आराजी [illegible] खातेदार इसलिए अप्रार्थी/वादी की आराजी खसरा में कमरा निर्माण नहीं करेगा। सीमाज्ञान के आदेश व पत्थरगढ़ी करा देगा यदि प्रार्थी वादी के सीमा — लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2026.02.10 13:40:34 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानेर

गंगाराम बनाम हीरालाल

मुकदमा संख्या/वर्ष 37/2013 धारा : ______/20

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/8/24	के अन्दर आता है तो उस सीमा तक प्रतिवादी को बेदखली वाद लाने के लिए स्वतन्त्र है सीमा मे यदि पहले से कब्जा है तो पृथक से बेदखली का वाद दायर होवे। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, प्रा०पत्र 07 R11 CPC का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे स्थायी निषेधाज्ञा एवं सीमाज्ञान का वाद प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रा०पत्र 07 R11 CPC मे चाही गई रिलीफ से अप्रार्थी/वादी सहमत होकर उपरोक्त निर्णय पर अपनी सहमति प्रदान की है। अत: प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रा०पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सुनाया गया) उप-खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:40:34 IST
Reason: SelfAttested